न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का रोहिण्डी

बनाम

अप्रार्थी :—लालाराम पुत्र श्योदान राम गुर्जर निवासी सिहोटगढ

अन्तर्गत धारा 91 भू—राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 56 / 17

निर्णय दिनांक 26 / 9 / 2017

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रोहिण्डी ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2074 में सरहद सिहोटगढ के ख.न. 128 रकबा 0.04 है. भूमि किस्म गै.मु. मंगरा में बाड़ लगा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वंय से नोटिस तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी दिनांक 22.9.17 को उपस्थितह हुआ और जबाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया जबाब में बताया की मुझ प्रार्थी द्वारा कब्जा हटा लिया है अब मेरा कोई अतिक्रमण नही है।

प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी का मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अत : अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 5 रूपये प्रति है. की दर से अतिक्रमित रकबा 0.04 है. भूमि के 0.20 रूपये लगान का 50 गुणा 10/— अक्षरे दस रूपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भोतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

तहसीलदार परबतसर

तहसील राजस्व लेखाकार